

!!आदेश!!

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या- 469/VII-A-1/2023/09(5)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्न गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

- | | |
|--|-----------|
| 1- जिलाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2- पुलिस अधीक्षक | - सदस्य |
| 3- नोडल प्रभागीय वनाधिकारी | - सदस्य |
| 4- जिला खान अधिकारी | - सदस्य |
| 5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - सदस्य |
| 6- अध्यक्ष, पंचायत उद्योग, समिति घुनी। | - सदस्य |

उक्त के अनुपालन में तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|-----------|
| 1- सम्बन्धित उप जिलाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2- सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक | - सदस्य |
| 3- संबंधित सहायक वनाधिकारी, जो एस0डी0ओ0 से न्यून हो | - सदस्य |
| 4- जिला खान अधिकारी | - सदस्य |
| 5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - सदस्य |
| 6- संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान | - सदस्य |

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti Illegal Mining) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3335/तीस-अवैध खनन/2023 दिनांक 25 मार्च, 2023

- 1- उप जिलाधिकारी चमोली/जोशीमठ/कर्णप्रयाग/गैरसैण/थराली/पोखरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 2- पुलिस उपाधीक्षक चमोली/कर्णप्रयाग।
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ/बद्रीनाथ/अलकनन्दा।
- 4- जिला खान अधिकारी, चमोली।
- 5- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कालेश्वर कर्णप्रयाग।
- 6- उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

**Signed by Himanshu
Khurana**

Date: 26-03-2023 18:35:09

(हिमंशु खुराना)

जिलाधिकारी,
चमोली।